

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

2021
424

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा...
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेश सोनी

वादी
श्री लक्ष्मि देव पुत्र सोहन सिंह

प्रतिवादी
उनवान
बनाम, कमल देव वरुण नरेश

दावा बाबत 1/3 888/21 जाति राजपूत नि जसोल

मुकदमा नम्बर :- 2 गहसीलकर, पन्चपदर

निर्णय दिनांक :- 25.10.2021

वादी की ओर से श्री लक्ष्मि देव पुत्र सोहन सिंह की व प्रतिवादी की ओर से गहसीलकर व उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.10.21 को श्री नरेश सोनी (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी के वाद को स्वीकार कर जसोल के क्षेत्र खसरा खाता सं. 76 कुल रकबा 155.06 बीघा वादग्रस्त आंराजी में लक्ष्मि देव पुत्र सोहन सिंह (वादी का नाम) के रूप में मूल क्षेत्र पुत्र सोहन सिंह को क्षेत्र किता जागीर गहसीलदार पन्चपदर वदानुकार कमल देव वरुण नरेश पर पानना उल्टा करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,.....